न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

: अपील प्रकरण संख्या 02/2020 .

गुरसाहबसिंह पुत्र श्री जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जगरूपसिंह पुत्र श्री जसाकरणसिंह
2. कलविन्द्रसिंह पुत्र श्री जगरूपसिंह
3. इकबाल कौर पत्नी श्री जगरूपसिंह
4. सन्तोखसिंह पुत्र श्री जगरूपसिंह
5. मनवीरकौर पुत्री श्री जगरूपसिंह अकवाम जटसिख सकनाए 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, केसरीसिंहपुर।

रेस्पोडेन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री मोहन लाल माहर, एडवोकेट , अपीलार्थी की ओर से
2. श्री कुलविन्द्रसिंह गुठी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2–4
3. श्री जीत पाल सैनी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5
4. श्री बलराम स्वामी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1

।। निर्णय ।। दिनांक: 03-06-2022

अपीलार्थी की ओर से हस्तगत अपील धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, विधि विरूद्ध, अवैधानिक रूप से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कपट एवं धोखे से पारित किया गया है। रेस्पो0 सं0 1 ने एक नियमित प्रार्थना पत्र सहमति के आधार पर रेस्पो0 सं0 6 के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके चक 2 डब्ल्यू तहसील श्री करणपुर के खाता सं0 9 का मु0 सं0 23–43–62/9 में कुल 7.428 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी का 2.476 है0 हिस्सा है जिसमें से पारिवारिक समझोता मे रेस्पो0 सं0 2 कलविन्द्रसिंह को देना चाहता है। पटवारी ने उसी रेज जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 25–4–18 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत भूमि पैतृक है जिसमें अपीलार्थी एवं रेस्पो0 सं0 3 ता 5 का जन्म से साधिकार है परन्तु रेस्पो0 सं0 1 ने अपने हिस्सा से अधिक का

अति0 जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अन्तरण विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग किया है। विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार जोत के विभाजन का वाद संधारण योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने घोषणात्मक वाद का निर्णय कर विधिक भूल की है। रेस्पो० सं० 1 ने अनुपातिक हिस्सा से अधिक का अन्तरण यद्यपि अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। समझौता को स्वीकृति करने हेतु कतई बाध्य नहीं था। अपीलाधीन आदेश की कियान्विति अभी तक नहीं हुई है। रेस्पो० सं० 1 का भरणपोषण अधिनियम में प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें रेस्पो० सं० ने कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन किया था । कब्जा के अभाव में विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है। रेस्पो० सं० 2 ने धोखे में रखकर कपटतापूर्ण सहमति के हस्ताक्षर करवा लिया जबकि रेस्पो० सं० 2 को भलीभाँति जानकारी थी कि भूमि पैतृक है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया है कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, विधि विरूद्ध, अवैधानिक रूप से बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए पारित किया गया है। रेस्पो० सं० 1 ने एक नियमित प्रार्थना पत्र सहमति के आधार पर रेस्पो० सं० 6 के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके चक 2 डब्ल्यू तहसील श्री करणपुर के खाता सं० 9 का मु० नं० 23-43-62/9 में कुल 7.428 है० कृषि भूमि में प्रार्थी का 2.476 है० हिस्सा है जिसमें से पारिवारिक समझोता में रेस्पो० सं० 2 कलविन्द्रसिंह को देना चाहता है। पटवारी ने उसी रोज जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 25-4-18 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत भूमि पैतृक है जिसमें अपीलार्थी एवं रेस्पो० सं० 3 ता 5 का जन्म से साधिकार है परन्तु रेस्पो० सं० 1 ने अपने हिस्सा से अधिक का अन्तरण विधि विरूद्ध तरीके से करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग कर विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार जोत के विभाजन का वाद संधारण करना था लेकिन घोषणात्मक वाद का निर्णय कर विधिक भूल की है। रेस्पो० सं० 1 ने अनुपातिक हिस्सा से अधिक का अन्तरण यद्यपि अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। समझौता को स्वीकृति करने हेतु कतई बाध्य नहीं था। अपीलाधीन आदेश की कियान्विति अभी तक नहीं हुई है। रेस्पो० सं० 1 का भरणपोषण अधिनियम में प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें रेस्पो० सं० ने कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन किया था कब्जा के अभाव में अपीलाधीन आदेश निरस्ती योग्य है। रेस्पो० सं० 2 ने धोखे में रखकर कपटतापूर्ण सहमति के हस्ताक्षर करवा लिया जबकि रेस्पो० सं० 2 को भलीभाँति जानकारी थी कि भूमि पैतृक है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-

1. आर आर डी 1977 पेज 336
2. आर आर डी 2010 पेज 692
3. आर आर डी 1984 पेज 712

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Type text

4. 2012(2) डी एन जे (रेवे0)1431
5. 2012(1) आर आर टी 658

इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 2–4–5 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। सहमति के बंटवारे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्व अपील लाई नहीं करती है। अपीलांट द्वारा दो भिन्न –2 आदेशों के विरूद्व एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जबकि दोनों आदेश भिन्न–2 अधिनियमों से संबंधित है इसलिए पृथक–2 अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी इसलिए इस आधार पर भी अपील खारिज होने योग्य है। सहमति के प्रस्ताव पर अपीलांट स्वंय के हस्ताक्षर हैं इसलिए अपीलांट यह नहीं कह सकता कि उसके साथ धोखे या कपट से हस्ताक्षर करवाये गये है। अपीलांट पर एस्टोपल का सिद्वान्त लागू होता है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है, इसमें हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. आर आर टी 2015(1) पेज 279
2. आर आर टी 2010(1) पेज 381
3. सिविल अपील नं0 7764/14 निर्णय दिनांक 31–7–2020 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, डिविजन बैंच रविन्द्रकुमार ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मनजीतकौर एवं अन्य

इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से परिशीलन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि रेस्पो0 सं0 1 जगरूपसिंह द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11–4–18 को पारिवारिक समझौते के आधार पर आपसी सहमति का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53/2 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया साथ ही शपथपत्र पर रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने सहमति प्रस्तुत की। रेस्पो0 सं0 1 का शपथ पत्र अपीलांट, रेस्पो0 सं0 4 सन्तोखसिंह, रेस्पो0 सं0 5 मनवीरकौर एवं रेस्पो0 सं0 3 इकबाल कौर द्वारा सहमति बाबत संयुक्त रूप से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसपर उक्त सभी के कलर फोटो एवं हस्ताक्षर हैं तथा शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 11–4 18 में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को रकबा विरासतन प्राप्त हुआ है। मौके पर आपसी सहमति का कोई विवाद नहीं है। ई0नं0..... द्वारा विरासतन प्राप्त हुई है। कोई प्रकरण कोर्ट/कचहरी में विचाराधीन नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण सं0 12/18 संधारित कर दिनांक 25–4–18 को सहमति का खाता विभाजन

Type to श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पेश किया जा सकता है – दो आदेशों के विरूद्व जो कि भिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत पारित किये गये थे, एक अपील पेश की – एक अपील पोषणीय नहीं थी – प्रार्थिया तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं थी इसलिए धारा 96 सि.प्र.सं. के अन्तर्गत पेश करना आवश्यक था – निर्णीत, आदेश न्यायसंगत है व निगरानियों में बल नहीं है व खारिज की । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा आदेश के विरूद्व हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन आदेश के आधार पर स्वीकृत इंतकाल के विरूद्व अपील प्रस्तुत नही की गई है जबकि आदेश व इंतकाल दोनों भिन्न – 2 अधिनियमों में पारित किये गये हैं इसलिए उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त भी हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है।

दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में राजीनामा की फोटो प्रति, बैंक में राशि जमा कराने की रसीद की प्रति एवं उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वकील अपीलांट द्वारा जो दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं, उनका ससम्मान अवलोकन किया गया है।

न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की वैधता एवं वैधानिकता के संबंध में देखना है। हस्तगत अपील में पक्षकारों ने आपसी सहमति से जोत का विभाजन किया है जिसमें अपीलांट की सहमति है। इसलिए आपसी सहमति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। मेरे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अत अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–04–18 की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायलय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03-06-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कविता अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।